

**कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून
(सशोधित)**

प्रपत्र-एम0एम0-10

खनन अनुज्ञापत्र का आदर्श प्रपत्र (55)

पत्र संख्या- 03 / खनिज-अनु0-2019

दिनांक- 15 जनवरी, 2019

इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्र संख्या 03 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा ग्राम चक भगवन्तपुर पुरकल के भूमि खसरा नम्बर 39, 40 रकबा 3970.90 वर्ग मीटर भूमि अंकित कर निर्गत की गयी थी। जिसमें आंशिक संशोधन कर निम्न प्रकार अंकित किया जा रहा है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। आवेदक ईश्वर रिजयसिंग लिविंग प्रा0 लि0 द्वारा श्री संजीव वोहरा पुत्र श्री आर0एल0 वोहरा निवासी डी-29 हृतीय प्लॉर डिफेंस आर0एनई दिल्ली के द्वारा उप खनिज (परिहार) नियमावली-2018 के अधीन तहसील सदर के क्षेत्रान्तगत ग्राम पुरकल चक भगवन्तपुर के भूमि खसरा सं0- 39 40 रकबा 0.4280 हे0 भूमि में बेसमेट/खनन अनुज्ञापत्र अर्थात् स्थल से कुल 3917.90 घन मीटर मिट्टी का खुदान कर परिवहन किया जायेगा। जिस पर नियमानुसार सवक कुल रुपये मु0-4,30,989-00 चालान संख्या 0049 दिनांक 08.01.2019 रायल्टी की धनराशि रु 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मु0-8,619-00 चालान संख्या 47 दिनांक 08.01.2019 एवं जिला खनिज फाउण्डेशन स्थापना रायल्टी का 10 प्रतिशत 43,097-00/-दिनांक 08.01.2019 के द्वारा जमा किया गया है। एतद्वारा स्वतः उल्लिखित भूमि से कुल 3970.90 घन मीटर मिट्टी के परिवहन हेतु दिनांक 10.01.2019 से दिनांक 07.04.2019 तक अर्थात् (तीन माह) की अवधि के लिये निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है। अनुज्ञापत्र की जी0एस0टी0 नम्बर-05AAFC5626E1Z1 है।

भूमि के ब्यौरे

तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा (वर्ग मीटर में)
सदर	केन्द्रीयदून	पुरकल चक भगवन्तपुर	39, 40	रकबा 0.4280 हे0 = 4280 वर्गमीटर

शर्तें:-

- 1- अनुज्ञापत्र धारक अनुमत स्थल से उपखनिज की निष्कासी इस शर्त से करेगा जिससे कि पर्यावरण पर पारिस्थितिकी को कोई क्षति न पहुंचे।
- 2- अनुज्ञापत्र धारक अनुमत भूमि से लगे अन्य की भूमि/नाला/सम्पत्ति/वृक्ष को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचायेगा।
- 3- प्रस्तावित स्थल से उपखनिज के अतिरिक्त यदि अन्य उपखनिज निकलता है तो अनुज्ञापत्र धारक उसे पक्का पत्र अंकित करके रखेगा तथा उसकी निष्कासी जिलाधिकारी से अनुमति के उपरान्त करेगा।
- 4- अनुज्ञापत्र धारक प्रस्तावित स्थल से उल्लिखित उपखनिज को अन्वय प्रेषण/निकासी प्रपत्र एम0एम0-10 का कार्य मिट्टी परिवहन का कार्य उपरोक्त अवधि में पूर्ण करेगा होगा।
- 5- उपरोक्तानुसार शर्त सं0-1 से 6 तक का उल्लंघन करने पर अनुज्ञापत्र धारक के पत्र में उल्लिखित अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

दिनांक-21.07.2018

ह0/-




(एस ए मुरुगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून।

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त अनुमत अवधि समाप्त होने के उपरान्त खनन/परिवहन कार्य तत्काल बन्द करवाना सुनिश्चित करें।
- 3- आवेदक ईडन रिटायरमेंट लिविंग प्रा0 लि0 द्वारा श्री सजीव वोहरा पुत्र श्री आर0एल0 वोहरा निवासी डी-29 तृतीय फ्लोर डिफेंस कालोनी नई दिल्ली।

दिनांक-15.01.2019


(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून।